29/05/2024

आकाशवाणी ईटानगर

भीषण गर्मी के बाद चक्रवात रेमल के कारण हुई अत्यधिक बारिश और भूस्खलन ने पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। और मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां चक्रवात के कारण पिछले 24 घंटों में कम से कम तैंतीस लोग मारे गए हैं। आज असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने नोगांव, होजाई, कार्बी-आंगलोंग, गोलाघाट, दीमा हासाओ, कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन ने बाराक वैली, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम को उत्तरी असम और शेष भारत से सड़क संपर्क कट गया है।

0000000000000000000

अरुणाचल प्रदेश पुलिस के Special Investigation Cell (Vigilance) ने सियांग जिले के शिक्षा विभाग में अवैध नियुक्तियों के मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सियांग जिले के शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों और मल्टीटास्किंग स्टाफ की अवैध नियुक्तियों के संबंध में की गई हैं। एसआईसी एसपी अनंत मित्तल ने कहा कि एसआईसी ने ईस्ट सियांग जिले के रंगिंग गांव के मूल निवासी नोंग पारोन को गत सोमवार गिरफ्तार किया, जो बोलेंग के डिप्युटी डायरेक्टर कार्यालय स्कूली शिक्षा विभाग में UDC के रूप में कार्यरत था। यह इस विशेष मामले में की गई दूसरी गिरफ्तारी है। गत 1 मई को, सेवानिवृत्त डीडीएसई तालेम जामोह को कथित मामले में गिरफ्तार किया गया था।

अब तक विभिन्न जिलों से राज्य के शिक्षा विभाग में नौकरी घोटाले में 13 व्यक्तियों, ज्यादातर सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है।

0000000000000000000

असम के तिनसुकिया जिले में अवैध रैट-होल माइन में तीन लोग सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी फंसे रहे, जबकि उन्हें बचाने के प्रयास जारी है। अधिकारियों ने बताया कि तिनसुकिया के जिला आयुक्त स्वप्निल पॉल ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ फंसे लोगों की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। यह घटना रविवार को करीब 12:30 मिनट पर हुई, जब लेडो में टिकोक कोलियरी के अंतर्गत स्थित बोरगोलाई और नामदांग के बीच अवैध टिकोक वेस्ट माइनिंग में अचानक भूस्खलन के कारण रैट-होल माइन ढह गई। फंसे हुए लोगों में नेपाल के भोजपुर के दावा शेरपा और मेघालय के दो श्रमिक शामिल हैं, जिनकी पहचान जॉन और फेनाल के रूप में हुई है।

0000000000000000000

मंगलवार को राजधानी ईटानगर की जिला उपायुक्त श्वेता नागरकोटी मेहता ने ईटानगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जिला उपायुक्त ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के महत्व पर प्रकाश डाला जिसका अर्थ है बेटियों को बचाने के साथ-साथ उन्हें शिक्षित करना भी है। उन्होंने बताया कि कैसे इस योजना को सबसे पहले 2015 में हरियाणा में बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मद्देनजर शुरू किया गया था।

और साथ ही जिला उपायुक्त इस बात से प्रभावित हुईं कि हमारा राज्य अरुणाचल अपने बच्चों के प्रति इस तरह का कोई भेदभाव नहीं रखता है। उन्होंने आत्मरक्षा सीखने के महत्व पर जोर देते हुए छात्रों से इस अवसर का उपयोग कर उन्हें आत्मरक्षा की बुनियादी तकनीकों के साथ प्रशिक्षित होने को कहा।

0000000000000000000

पासीघाट स्थित कृषि महाविद्यालय और तवांग कृषि विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को तवांग के ज़ोम्खांग हॉल में एक संयुक्त संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र में कार्य योजना तैयार करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच संवाद को सुगम बनाना था। कार्यक्रम का उद्घाटन इम्फाल स्थित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अनुपम मिश्रा ने किया।

0000000000000000000

लोकसभा चुनाव के छठे चरण में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 3 प्रतिशत अधिक रही। चुनाव आयोग ने कल यह जानकारी दी। चुनाव आयोग ने शनिवार को हुए लोकसभा चुनाव के छठे चरण में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या जारी की। रिपोर्ट के अनुसार, चौसट दशमलव नौ पांच प्रतिशत योग्य महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि इकसठ दशमलव नौ पांच प्रतिशत योग्य पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा, थर्ड जेंडर द्वारा अट्ठारह दशमलव छह सात प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो चुनावी प्रक्रिया में विविधतापूर्ण भागीदारी को दर्शाता है। बिहार, झारखंड, लद्दाख, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक थी।

उल्लेखनीय रूप से, पश्चिम बंगाल इक्यासी दशमलव छह दो प्रतिशत के साथ सबसे अधिक मतदान के साथ उभरा, जिसने अपने लोगों के बीच मजबूत चुनावी उत्साह को प्रदर्शित किया।

0000000000000000000

सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को सात दिन बढाने से संबंधित याचिका खारिज कर दी है। उन्हें 2 जून को ही तिहाड जेल में वापस जाना होगा। केजरीवाल के आवेदन को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के पंजीयन कार्यालय ने कहा कि उन्हें नियमित जमानत के लिए जांच अदालत जाने की स्वतंत्रता दी गई है इसलिए उनकी यह याचिका स्वीकारने योग्य नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को 10 मई को न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने अंतरिम जमानत दी थी और कहा था कि 2 जून को उन्हें तिहाड जेल में वापस लौटना होगा। पीठ ने दिल्ली शराब घोटाले से जुडे धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित चुनौती पर 17 मई को फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

0000000000000000000